

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

अधिसूचना

पटना, दिनांक-20.9.18

संचिका सं०-11/नई उत्पाद नीति-01-03/2015 2577 बिहार छोआ (नियंत्रण) अधिनियम 1947, (बिहार अधिनियम-vi, 1947) की धारा 13 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार छोआ (नियंत्रण) नियमावली, 1955 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

बिहार छोआ (नियंत्रण) नियमावली, 1955 के नियम-3 के उप नियम (एफ1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

3(F-1)-(i) बिहार राज्य में स्थापित सभी चीनी मिलों से छोआ के सम्पूर्ण उत्पादित मात्रा की सूचना प्रपत्र एम0एफ0-3 में प्राप्त होने पर छोआ नियंत्रक छोआ के कुल उत्पादन की गणना करेंगे और राज्य में स्थापित छोआ आधारित आसवनियों की आवश्यकता से अतिरिक्त छोआ का जैसा कि छोआ नियंत्रक उचित समझे वर्ष 2018-19 के लिए निर्यात की अनुमति दे सकेंगे।

(ii) छोआ का निर्यात जी0पी0एस0 युक्त, डिजिटल लॉक लगे वाहनों से किया जायेगा।

(iii) राज्य से बाहर छोआ निर्यात पर 10/- (दस) रूपया प्रति क्विंटल की दर से निर्यात शुल्क GST रहित देय होगा।

यह अधिसूचना इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



(अमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञापक-11/नई उत्पाद नीति-01-03/2015-2577
प्रतिलिपि :- 1. महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-20.9.18

2. अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना।

3. वित्त विभाग, ई गजट कोषांग को सी0डी0 सहित बिहार राज पत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं उसकी 500 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

4. मंत्री निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के आप्त सचिव/सदस्य राजस्व पक्ष, बिहार, पटना।

5. सभी विभागीय सचिव/प्रबंध निदेशक, बी0एस0बी0सी0एल0, पटना/ अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्ता/सभी प्रमंडलीय उपायुक्त उत्पाद/सभी सहायक आयुक्त उत्पाद/ सभी अधीक्षक उत्पाद को सूचनार्थ प्रेषित।



सरकार के प्रधान सचिव
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

अधिसूचना

संचिका सं०-11/नई उत्पाद नीति-01-03/2015 अधिसूचना संख्या 2577
दिनांक-20.7.18 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद द्वारा प्रकाशित
किया जाता है, जिसे भारत-संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन उक्त नियमावली का
अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव
बिहार, पटना।

Government of Bihar
Prohibition Excise & Registration Department
Notification

2577

Patna, Date-20.7.18

S.O. No. 11/New Excise Policy-01-03/2015-----/ In exercise of the powers conferred under Section 13 of **The Bihar Molasses (Control) Act, 1947 (Bihar Act-vi of 1947)** the Governor of Bihar is pleased to make the following amendment in **The Bihar Molasses (Control) Rules, 1955.**

In The Bihar Molasses (Control) Rules, 1955 the following sub rule (F1) of Rule-3 shall be substituted by the following:-


“3(F1)(i) -After receipt of report in form MF 3 from all the Sugar Factories situated in the State of Bihar, the controller of Molasses will calculate the total production of Molasses and may allow the excess molasses more than the requirement of molasses based distilleries to be exported out the State as the controller of molasses deems fit for the year 2018-19.”

(ii) The molasses shall be exported through GPS enabled, digitally locked vehicles.


(iii)- The export of Molasses out of the state shall be chargeable by Rs.10/- (Ten) per quintal export fee excluding GST.

This notification shall come into force with effect from the date of its publication in official Gazette.

By order of The Governor of Bihar


(Amir Subhani)
Principal Secretary,
Bihar, Patna

- प्रतिलिपि :-
1. महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
 2. अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना।
 3. वित्त विभाग, ई गजट कोषांग को सी0डी0 सहित बिहार राज पत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं उसकी 500 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
 4. मंत्री निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के आप्त सचिव/सदस्य राजस्व पर्वद, बिहार, पटना।
 5. सभी विभागीय सचिव/प्रबंध निदेशक, बी0एस0बी0सी0एल0, पटना/ अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्ता/सभी प्रमंडलीय उपायुक्त उत्पाद/सभी सहायक आयुक्त उत्पाद/ सभी अधीक्षक उत्पाद को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के प्रधान सचिव
बिहार, पटना।

20/9/18